भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3090

27.03.2025 को उत्तर के लिए

वन अधिकार अधिनियम, 2006 को कमजोर किया जाना

3090. श्री विवेक के. तन्खाः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विशेष रूप से वन परिवर्तन परियोजनाओं के लिए ग्राम सभाओं की सहमति से संबंधित वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को कमजोर करने के लिए संशोधनों पर विचार कर रही है या कर चुकी है;

(ख) ऐसे किसी प्रस्तावित या कार्यान्वित किए गए परिवर्तन के पीछे क्या तर्क है, तथा जनजातीय समुदायों और वन निवासियों के अधिकारों पर उनका अपेक्षित प्रभाव क्या होगा; और

(ग) वन पर निर्भर समुदायों की आजीविका और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ विकासात्मक प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध वन अधिकार अधिनियम, 2006 के उपबंधों या ग्राम सभाओं की कानूनी शक्तियों को निरस्त नहीं करते हैं। इसके विपरीत, वन (संरक्षण) नियम, 2022 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के उपबंधों में यह अनिवार्य किया गया है कि राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिकारों का परि-निर्धारण सहित सभी उपबंधों की पूर्ति और अनुपालन के बाद ही वन भूमि के अपवर्तन के आदेश जारी करेगा।

इसके अलावा, अधिनियम और नियमों में संशोधन से ग्राम सभाओं की सहमति अनिवार्य करने वाले अन्य कानूनों जैसे भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रवर्तन पर रोक नहीं लगेगी या उनका उल्लंघन नहीं होगा।
